



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का एक प्रीमियर संस्थान)
शैक्षणिक मामले विभाग - रायबरेली केंद्र

9305(4)/AA/NIFT/RB/Miscellaneous File/2022

दिनांक:- 29.05.2023

परिपत्र/Circular

1. It has been observed by the Competent Authority that there is considerable slackness by the students/parents to take a considered view for shifting in NIFT Hostel from rented outside house while there are adequate number of Hostel rooms in the Campus.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि छात्रों/माता-पिता द्वारा बाहर किराए के कमरे से निफ्ट छात्रावास में स्थानांतरित करने के बारे में काफी सुस्ती है, जबकि परिसर में पर्याप्त संख्या में छात्रावास के कमरे हैं।

2. It has been repeatedly reported by local authorities that the student of NIFT are being found late night roaming in the ITI and nearby Colonies various adverse incidents of Eve-teasing, incidents challenging the security and safety of students have been reported regularly.

स्थानीय अधिकारियों द्वारा बार-बार यह बताया गया है कि निफ्ट के छात्र आई.टी.आई. और आसपास की कॉलोनीयों में देर रात घूमते पाए जाने की, छेड़खानी की विभिन्न प्रतिकूल घटनाएं एवं छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा को चुनौती देने वाली घटनाएं नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती रही हैं।

3. Consequent to various law & order problem in the close vicinity of NIFT Campus local State Government authority including Police Department have been approached for safety & security of the students. The police department had suggested that Raebareli being small city do not have the culture of public movement during odd hours specially in the late night and therefore the girl student should be specifically discourage for late night movement for their own safety and their wellness. Campus Director also apprised the SP Raebareli & CO Raebareli who had visited the Campus & local police has arranged sensitization programme, security awareness & arrange police patrolling. The Police Department has suggested that the student staying outside the Campus should be asked to get the police verification of their Landlord/PG providers. NIFT has initiated the process have getting the desire information of all Day Scholars (175 students) in the last semester and despite various emails & written letter to the parents/students only 12 students have so far responded.

निफ्ट कैम्पस के आसपास कानून और व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं के परिणामस्वरूप पुलिस विभाग सहित स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकरण से छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए संपर्क किया गया है। पुलिस विभाग ने सुझाव दिया था कि रायबरेली छोटा शहर होने के कारण विषम समय के दौरान विशेष रूप से देर रात में सार्वजनिक चहल-पहल की संस्कृति नहीं है और इसलिए छात्राओं को अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य के लिए देर रात चहल-पहल के लिए विशेष रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कैम्पस निदेशक ने एस.पी. रायबरेली और सी.ओ. रायबरेली को भी अवगत कराया, जिन्होंने कैम्पस का दौरा किया था और स्थानीय पुलिस ने संवेदीकरण कार्यक्रम, सुरक्षा जागरूकता और पुलिस गश्त की व्यवस्था की है। पुलिस विभाग ने सुझाव दिया है कि परिसर के बाहर रहने वाले छात्रों को अपने मकान मालिक/पी.जी. प्रदाताओं का पुलिस सत्यापन कराने के लिए कहा जाना चाहिए। निफ्ट ने अंतिम सेमेस्टर में सभी डे स्कॉलर्स (175 छात्रों) की वांछित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी और माता-पिता/छात्रों को विभिन्न ईमेल और लिखित पत्र के बावजूद केवल 12 छात्रों द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

4. Since, security, safety and wellness of the students are the prime responsibility of NIFT management. It is felt that making Hostel compulsory for the student would be a prudent step in this direction. As NIFT, Raebareli Campus is fully residential with the capacity to facilitate Hostel facilities to all the students. The Campus accommodation

Contd.....2

Signature

is not only cost effective but also provides 24Hours Power Back UPS, Wi-fi facility, Doctor, Nurse for basic medical facility, safety, security, canteen, gym etc. for overall growth and discipline.

चूँकि छात्रों की सुरक्षा, संरक्षा और तंदुरुस्ती निफ्ट प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी है। यह महसूस किया जाता है कि छात्र के लिए छात्रावास को अनिवार्य बनाना इस दिशा में एक विवेकपूर्ण कदम होगा। निफ्ट के रूप में, रायबरेली परिसर सभी छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की क्षमता के साथ पूरी तरह से आवासीय है। कैम्पस आवास न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि समग्र विकास और अनुशासन के लिए 24 घंटे पावर बैकअप यू.पी.एस., वाई-फाई सुविधा, बुनियादी चिकित्सा सुविधा के लिए डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा, कैंटीन, जिम आदि भी प्रदान करता है।

5. Considering the fact that the Hostel & Mess charges are being deposited for 01 year in advance and this may be causing financial discomfort to some students. LASC was of the view that the Hostel & Mess charges from the 03rd semester onwards could be collected by Half Yearly for such students. In order to cater the requirement of economically weaker student provision for dormitory facility in the Girls Hostel could also be explored from the forthcoming Session i.e. July-December 2023. The availability of dormitories and the charges will be worked out in the due course.

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हॉस्टल और मेस शुल्क 01 वर्ष के लिए अग्रिम रूप से जमा किया जा रहा है और इससे कुछ छात्रों को वित्तीय परेशानी होती है। एलएएससी का मानना था कि तीसरे (3rd) सेमेस्टर से ऐसे छात्रों के लिए हॉस्टल और मेस शुल्क अर्धवार्षिक रूप से एकत्र किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगामी सत्र यानी जुलाई-दिसंबर 2023 से गर्ल्स हॉस्टल में डॉरमेट्री सुविधा के प्रावधान का भी पता लगाया जा सकता है। डॉरमेट्री की उपलब्धता और शुल्क की गणना यथासमय की जाएगी।

In view of above, Competent Authority has decided that Hostel will be compulsory for every student w.e.f. session Jul-Dec 2023, however local permanent residential of the Raebareli may be exempted on approval of the Competent Authority.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक छात्र के लिए सत्र जुलाई-दिसंबर 2023 से छात्रावास अनिवार्य होगा, हालांकि रायबरेली के स्थानीय स्थायी आवासीय को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर छूट दी जा सकती है।

Further, for financial discomfort students may be allowed to pay the Hostel & Mess charges on semester wise on prior approval of the Competent Authority.

इसके अलावा, वित्तीय असुविधा के लिए छात्रों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति पर सेमेस्टर वार छात्रावास और मेस शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है।

This issues with the approval of the Campus Director.

इसे कैम्पस निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(नन्दन सिंह बोरा)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

निफ्ट रायबरेली के समस्त डे स्कॉलर छात्रों को।

प्रतिलिपि:-

- (1) सी०ए०सी०
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र समन्वयक/संकाय सदस्य
- (3) एस०डी०ए०सी० – सम्बंधित छात्र/छात्रा को कृपया प्रसारित करने हेतु
- (4) निजी सहायक (निदेशक)
- (5) हास्टल वार्डन (छात्र/छात्रा)
- (6) कंप्यूटर इंजिनियर- निफ्ट वेब साईट पे अपलोड हेतु।